# <u>न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश</u> (समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

<u>व्यवहार वाद क.176 ए/2015</u> संस्थापित दिनांक 02/09/2014 फाईलिंग नम्बर 230303010842014

> सरनाम सिंह पुत्र गिरवर सिंह आयु 55 साल जाति जाटव निवासी ग्राम चक माधौपुर,थाना मालनपुर, जिला भिण्ड म0प्र0

> > <u>..... वादी</u>

#### बनाम

- विलोपित 1. शिवनारायण
- विलोपित— 2. आशाराम
- विलोपित 3. जगदीश
- विलोपित 4. उत्तम सिंह पुत्रगण बुद्धेराम
- विलोपित 5. वीर सिंह विलोपित — 6. उदय सिंह
- विलोपित— 7. विनोद सिंह पुत्रगण आशाराम
  - 8. शिव सिंह पुत्र प्रभूदयाल
  - 9. धर्मवीर पुत्र ग्यादीन
  - 10. श्रीलाल पुत्र मंगल सिंह
  - 11. भीम सिंह
  - 12. रणवीर सिंह पुत्रगण बाबूराम समस्त जाति जाटव निवासीगण ग्राम चक माधौपुर,तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
  - 13. म0प्र0शासन द्वारा—श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

Pala Strial

वादी द्वारा अधि०श्री जी०एस०निगम । प्रतिवादी क०1 लगायत ०७ विलोपित। प्रतिवादी क०8,10,11,12 द्वारा अधि०श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव । प्रतिवादी क.9 व 13 पूर्व से एकपक्षीय।

# <u>::- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 31/1/2017 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम चक माधौपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे क्र.४९ रकवा ०.८३ पर स्थाई निषेधाज्ञा चाहे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

- संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क.49 रकवा 0.83 ग्राम चक माधीपुर तहसील गोहद में स्थित है जिसका वादी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है उक्त वादग्रस्त भूमि वादी को वर्ष 1992—93 में शासन द्वारा शासकीय पटटेदार के रूप में प्रदान की गई थी वादी ने पटटे की शर्तों का पालन किया था एवं वादग्रस्त भूमि पर खेती करता रहा था। शासन द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/08-09अ-6 में पारित आदेश दिनांक 18/2/2000 के द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये थे एवं राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज किया गया है तभी से वादी उक्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। वादी पटटा होने के वर्ष से ही विवादित भूमि पर काविज होकर खेती करता रहा है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को पटटा होने के वर्ष से ही है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में व्यवधान पैदा कर रहे है दिनांक 16/08/14 को वादी अपने खेत की जुताई करवा रहा था तभी प्रतिवादीगण ने आकर वादी को वादग्रस्त भूमि पर जुताई करने से रोका था एवं खेत पर कब्जा करने की धमकी दी थी वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण वादी को मॉ–बहन की गालियाँ देने लगे थे एवं कृषि कार्य अवरूद्ध कर दिया था वादी ने उक्त घटना की रिर्पोट पुलिस थाना मालनपुर में की थी परन्तु प्रतिवादीगण नहीं मानें हैं एवं वादी को वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादी की कृषि कार्य में कोई अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न न करें।
- 3. प्रतिवादी क08 एवं 10 लगायत 12 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि विवादित भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि है एवं प्रत्येक ग्रामवासी के उपयोग की है वादी ने गलत रूप से वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में अपने नाम का इन्द्राज करा लिया है वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा बर्ताव नहीं है वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शासन ने वादग्रस्त भूमि किस वर्ष में किस प्रकरण क्रमांक से उसे पटटे पर दी थी वादी ने फर्जी पटटा तैयार कराया है एवं फर्जी पटटे के आधार पर राजस्व अधिकारियों से मिलकर फर्जी इन्द्राज कराया है। शासन ने प्रकरण क्रमांक 3/08–093–6 में दिनांक 18/2/2000 को शासकीय पटटेदार के हक समाप्त कर भूमि स्वामी का आदेश पारित किया है। यह फर्जी इन्द्राज है क्योंकि प्रकरण वर्ष 2009 में दर्ज हुआ एवं आदेश 2000 में हुआ है वादग्रस्त भूमि पर कंडे थापने का पथनबाडा, सईयदबाबा का मंदिर, देवी का मंदिर एवं भैरो बाबा के मंदिर बने हुये है, देवताओं के चबूतरे बने हुये है जिस पर गांव के सभी लोग पूजा करते है वादग्रस्त भूमि पर वादी की कोई खेती नहीं होती है वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं हैं वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का फर्जी पटटा कराया गया है विवादित भूमि आम आदमी के निस्तार की शासकीय भूमि है वादी का मौके पर कोई कब्जा नही हैं स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के लिये कब्जा होना जरूरी है वादी ने कब्जे की सहायता नहीं चाही है इसलिये प्रस्तुत वाद निरस्ती योग्य है।

- 4. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान वादी एवं प्रतिवादी क01 लगायत 07 के मध्य राजीनामा होने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी क01 लगायत 07 का नाम विलोपित किया गया है। प्रतिवादी क09 एवं 13 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं।
- 5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न 🗸 🦰 निष्कर्ष

- 1. क्या वादी ग्राम चक माधौपुर परगना गोहद में स्थित कृषि भूमि प्रमाणित है। सर्वे क्र.49 रकवा 0.83 बांके का आधिपत्यधारी है?
- 2. क्या प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध हॉ हस्तक्षेप किया जा रहा है?
- 3. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है? हॉ
- क्या वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन उचित रूप से प्याप्त न्यायशुल्क हाँ अदा किया गया है?
- 5. असहायता एवं व्यय? वाद सफल रहा ।

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक-1

- 6. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी सरनाम सिंह वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि भूमि सर्वे क.49 रकवा 0.83 ग्राम चक माधौपुर तहसील गोहद में स्थित है जिसका वह स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है उक्त भूमि शासन द्वारा वर्ष 1993 में तहसीलवार महोदय द्वारा उसे शासकीय पटटेदार की हैसियत से प्रदान की गई थी तभी से वह उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है वर्ष 2009 में तहसीलदार द्वारा उसे वादग्रस्त भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से वादी को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वर्ष 2013—14 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी03 ,िकश्तबंदी खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी04,सीमांकन प्रतिवेदन प्र0पी05,पंचनामा प्र0पी06,फील्ड बुक प्र0पी07 एवं व्यवस्थापन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी08 प्रकरण में प्रस्तुत की गई हैं।
- 07. प्रतिपरीक्षण के पद क04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि उसे चार बीघे का पटटा मिला था एवं उसने प्र0पी08 का व्यवस्थापन प्रकरण में प्रस्तुत किया है उसे पटटा नहीं मिला था उसका व्यवस्थापन हुआ था वह व्यवस्थापन होने के पहले से ही वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा है। वह वर्ष 1990 से वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा है। पद क05 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है जिस भूमि का उसे पटटा मिला था वह पूर्व में शासकीय चरनोई जगह थी। पद क06 में उक्त साक्षी का कहना है कि जिस भूमि का उसके नाम व्यवस्थापन हुआ था उसका सर्वे क.49 है। पद क07 में उक्त साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि प्र0पी08 के अनुसार उसका सर्वे क.49 पर व्यवस्थापन नहीं हुआ था।

08. वादी साक्षी रामप्रसाद वा०सा०२,एवं रामसहाय वा०सा०३ ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की हैं।

- 09. प्रतिवादी शिव सिंह प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुये यह अभिवचित किया गयाहै कि विवादित भूमि सार्वजिनक निस्तार की भूमि है उक्त भूमि पर वादी ने गलत रूप से भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज करा लिया है लेकिन वादी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा बर्ताव नहीं रहा हैं। वादी ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर फर्जी पटटा करा लिया है विवादित जगह में कंडे थापने के थपनबाडे, मंदिर, सईयद बाबा का चबूतरा, चामुण्डादेवी का मंदिर, मैरोबाबा का मंदिर बना हुआ है उक्त जगह में अन्य देवी देवताओं के मंदिर है जिसमें गांव के लोग पूजा अर्चना करते है उक्त जगह पर कभी भी खेती नहीं हुई है वादी को कोई पटटा नहीं हुआ है उसने फर्जी इन्द्राज कराया हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि सरनाम को सर्वे क.49 का पटटा हुआ था सरनाम को पटटा किस वर्ष मिला था वह नहीं बता सकता हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि सर्व क.49 का बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क.12 था एवं बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क.12 से 5 सर्वे कमांक 44,47,49,50,एवं 150 बने थे सर्वे क.12 लगभग 12—13 बीघा का था सर्वे कमांक 12 में पूरा गांव बसा था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि सर्वे क.49 में देवी का मंदिर बना है अथवा कंडे थपते हैं।
- 10. प्रतिवादी साक्षी रमेश प्र0सा02 एवं भीमसेन प्र0सा03 द्वारा भी प्रतिवादी शिव सिंह प्र0सा01,के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी गई हैं।
- 11. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी को शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हैं। प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं। जबिक प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्रामवासियों के निस्तार की भूमि है एवं उक्त भूमि पर वादी का आधिपत्य नहीं हैं।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में वादी सरनाम सिंह प्र0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क.49 रकवा 0.83 उसे वर्ष 1992—93 में शासन द्वारा पट्टे पर दी गई थी तभी से वह वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि पर शासन द्वारा उसे भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान कर दिया गया था वादी पटटा प्रदान किये जाने के समय से ही वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी हैं। उक्त संबंध में वादी द्वारा व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30/11/93 प्र0पी08 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त व्यवस्थापन आदेश के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी का उक्त आदेश के द्वारा ग्राम चक माधौपुर में भूमि सर्वे क.12 रकवा 2.874 में से मिन रकवा .836 पर व्यवस्थापन होने का उल्लेख हैं एवं वादी द्वारा ऐसी कोई री—नम्बरिंग सूची भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित हो कि सर्वे क.12 का नवीन सर्वे क.49 हैं परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी साक्षी रामप्रसाद वा०सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क03 में यह बताया है कि जिस जमीन का पटटा उसके भाई सरनाम को मिला था उसका पुराना सर्वे क.12 था एवं वर्तमान सर्वे क.49 हैं। स्वयं

प्रतिवादी शिव सिंह प्र0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि सर्वे क.49 का बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क.12 था एवं बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क.12 के 5 सर्वे कमांक बने थे जिनमें सर्वे क.49 भी बना था । इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी शिव सिंह प्र0सा01 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सर्वे क.12 का ही नवीन सर्वे क.49 है।

- 13. इस प्रकार प्रकरण में यघिप वादी द्वारा री—नम्बरिंग सूची प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु वादी साक्षी रामप्रसाद वा0सा02 एवं स्वयं प्रतिवादी शिवसिह प्र0सा01 के कथनों से यह दर्शित हैिक सर्वे क.12 का नवीन सर्वे क.49 हैं। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि वादी को वादग्रस्त भूमि सर्वे क.49 रकवा .836 का पट्टा प्र0पी08 के आदेश द्वारा दिनांक 30/11/93 को प्राप्त हुआ था। यघिप प्रतिवादी द्वारा यह व्यक्त अभिवचित किया गयाहै कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का फर्जी पटटा कराया गया है एवं फर्जी रूप से अपने नाम का इन्द्राज कराया गया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो किप्र0पी08 का दस्तावेज फर्जी हैं प्रतिवादीगण द्वारा यह भी अभिवचित्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सार्वजित निस्तार की भूमि हैं एवं विवादित भूमि पर वादी की खेती नहीं होती है परन्तु इस संबंध में भी प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि सार्वजितक निस्तार की भूमि हैं। इसके विपरीत प्रतिवादी साक्षी भीमसेन प्र0सा03 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पद क04 में यह स्वीकार किया गया हैकि सर्वे क.49 पर सरनाम की खेती हो रही हैं।
- 14. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबावदावें में यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रकरण क्रमांक 3/08–09–3–06 का आदेश दिनांक 18/2/2000 फर्जी है क्योंकि उक्त प्रकरण 2009 में दर्ज हुआ है एवं वादी ने आदेश दिनांक 08/2/2000 को पारित होना बताया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा जो प्र0पी03 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उसमे कैफियत के कॉलम में यह लेख है कि "तहसीलदार महोदय गोहद वृत्त एण्डौरी के प्र0क03/2008–09–3–6 में पारित आदेश दिनांक 18/2/2009 के पालन में सर्वे कृ.49/0.83 हेक्टेयर पर सरनाम सिंह का शासकीय पट्टेदार निरस्त किया जाकर भूमि स्वामी घोषित किया जाता है "। इस प्रकार प्र0पी03 के खसरे में कैफियत के कॉलम में अंकित उक्त प्रविष्टी से यहीं प्रकट हो रहाहै कि प्र0क03/08–09–3–06 का आदेश दिनांक 18/2/2009 को पारित हुआ था।
- 15. वादी सरनाम सिंह वा०सा०1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क.49 रकवा 0.83 उसे वर्ष 1993 में म०प्र०शासन द्वारा पटटे पर प्रदान की गई थी तभी से उक्त भूमि पर वह खेती करता चला आ रहा है। वादी साक्षी रामप्रसाद वा०सा०2 एवं रामसहाय वा०सा०3 ने भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रकट किया हैं। स्वयं प्रतिवादी शिव सिंह प्र०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क०4 में यह बताया है कि सरनाम को सर्वे क.49 का पटटा मिला था प्रतिवादी साक्षी भीमसेन प्र०सा०3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया हैकि सर्वे क.49 पर सरनाम की खेती हो रही हैं। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा जो प्र०पी०3 का खसरा एवं प्र०पी०4 की खतौनी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसमें भी भूमि सर्वे क.49 रकवा 0.83 पर वादी सरनाम सिंह का नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में अंकित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजों

का कोई खण्डन नहीं किया गया है अतःउक्त बिन्दु पर वादी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह दर्शित हैिक वादी को वादग्रस्त भूमि शासन द्वारा पटटे पर दी गई थी एवं प्र0पी03 के खसरे तथा प्र0पी04 की खतौनी से यह भी दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हैं।

16. फलतः समग्र अवलोकन से उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादगस्त भूमि सर्वे क.49 रकवा 0.83 जिसका पुराना सर्वे क.12 था वादी को दिनांक 30/11/93 को शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं।

#### वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 3

उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी को आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है एवं वादी के कृषि कार्य करने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा हैं। यहां यह उल्लेखनीय हैकि वादप्रश्न क01 के निष्कर्ष अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित है वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे है प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैकि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि है जिस परकंडे थपते है मंदिर बने हैं परन्त् प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज ऐसी कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि है इसके अतिरिक्त स्वयं प्रतिवादी शिव सिंह प्र0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया हैकि सरनाम को सर्वे क.49 का पटटा मिला था तथा प्रतिवादी साक्षी भीमसेन प्र0सा03 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया हैकि सर्वे कृ.४९ पर सरनाम की खेती हो रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित है एवं प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तृत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि हैं। ऐसी स्थिति में जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित है यहीं माना जायेगा कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अनाधिकृत रूप से वादग्रस्त भूमि पर खेती करने से रोका जा रहा है प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी को आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं।

### वाद प्रश्न कमांक-4

- 18. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि विवादित भूमि का बाजारू मूल्य 2 लाख रूपये हैं इसलिये वादी को मूल्यानुसार 24 हजार रूपये न्यायशुल्क अदा करना चाहिये था। वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन कम किया गया हैं एवं उचित न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया हैं। अतः प्रस्तुत वाद निरस्ती योग्य है जबिक वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैंकि उसके द्वारा वाद का मूल्याकंन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया हैं।
- 19. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे कृ.49 रकवा 0.83 पर स्थाई निषेधाज्ञा चाहे जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं कृषि भूमि होने के कारण वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन विवादित भूमि के लगान के 20 गुणे के आधार पर 145/—रूपये किया गया हैं तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद का मूल्याकंन 500/—रूपये किया गया है एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क 100/—रूपये अदा किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की

धारा 7 (4) (डी) के अनुसार "व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा"। इस प्रकार न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 (4) (डी) के अनुसार वादी अपने वाद का मूल्याकंन करने के लिये स्वतंत्र है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का मूल्याकंन वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के 20 गुणे के आधार पर किया गया है एवं तद्नुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन उचित रूप से पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित हैं।

#### सहायता एवं व्यय

20. समग्र अवलोकन से वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करने में सफल रहा है अतः प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:—

- प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह ग्राम चक माधौपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.49 रकवा 0.83 हेक्टेयर पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न तो स्वयं करें ओर न ही किसी अन्य से करावें।
- प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा बहन किया जावेगा।
- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।
  तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद दिनांक – 31/1/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही / – ) (प्रतिष्ठा अवस्थी) ग वर्ग–1, अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 ण्ड म०प्र० वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०